आने से काफी पहले का है। भारतीय संविधान में जो मूलभूत तत्व है, उन का उल्लंधन करने वाली बहुत सी बातें बॉयलर एक्ट में है। इन का फादया उठाकर बॉयलर निदेशालय की एकाधिकारशाही बढ़ रही है। इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है?

श्री कमल नाथः सर, यह बात सही है कि यह 1923 का बिल है। इस में 1972 में एक कमेटी बनाई गई उसने अपनी रिपोर्ट दी और तब यह 1994 में राज्य सभा में इट्रोड्यूस हुआ। उस के बाद 2000 में स्टेडिंग कमेटी में गया और वहां विचार किया गया। उस के बाद 2000 में राज्य सभा में आया, लेकिन कंसीडरेशन की लिस्ट पर नहीं आ पाया। अभी मैंने पिछले साल कुछ महीने पहले सोचा कि अब इस पर फिर से लाना है क्योंकि इसमें बहुत समय गुजर गया है इसलिए इस पर फिर से खास तौर से राज्य सरकारों से चर्चा करनी है क्योंकि राज्य करकारें उस का नियम बनाती है औऱ राज्य सरकार चाहती थी कि उस का राज्य सरकार खुद करे, पर आज टैक्नॉलोजी में बहुत परिवर्तन हुआ है। तो इस पर उन से चर्चा कर रके कि कैसे होगा, यह बात हम अपनी कैबिनेट में ले जाएंगे और जब कैबिनेट का

हो जाएगा, मैं इसे अवश्य ही संसद मैं जल्दी जाने का प्रयास करुंगा।

रेलगाड़ियों में बलात्कार,लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाएं

*404. **श्री अजय मारू**:

श्री संतोष बागड़ोदिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का घ्यान झारखंड व अन्य राज्यों में रेलगड़ियों में बलात्कार,लूट, डकैती और अन्य आपराधिक घटनाओं की और गया है,

(ख) क्या इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मापदंड है,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले यात्रियों की जान और माल की रक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (**श्री शिवराज वी. पाटिल**): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

---

††सभा में यह प्रश्न भी अजय मारू द्वारा पुछआ गया।

विवरण

(क) से (घ) सरकार को चलाती ट्रेनों में डकैती, लूटपाट सैंधमारी और चोरी की घटनाओं की जानकारी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्युरो, राज्य सरकारों द्वारा दर्ज इन अपराधों के मामलों के संबंध में आकड़े संकलित करता है। वर्ष 2003-04 और 2005 (जून तक) के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या दर्शानों वाला एक विवरण विवरण-। में दिया गया है (नीचे दिखिए) एन सी आर बी, ट्रेनों में बलात्कार के मामलों के मामलों के संबंध में आंकड़ेनहीं रखता है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए चलती ट्रेनों में अपराधों का पता लगाने, दर्ज करने जांच- पड़ताल करने तथा मुकदमा चलाने के साथ उन्हें रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों और यात्री क्षेत्रों में बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है :-

(i) रेलवे को राज्य पुलिस बल के साथ मिलकर रेलों में अपराध को कारगरता के साथ नियंत्रित करने में समर्थ बनाने हेतू रेल संरक्षण बल आधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन किए गए हैं।

(ii) आर पी एफ को रेल संचालनों को प्रभावित करने वाले छोटे-मोटे आपराधों जैसे अलार्म चेन खींचने, रेल की छत पर यात्रा करने, टिकटों की दलाली करने, बगैर टिकट यात्रा करने, अनअधिकृत रूप से प्रवेश करने से निफ्टने के भी आधिकार दिए गए है।

(iii) रेल संरक्षण बल (आर पी एफ) के क्रामिकों को कई रेलों में सुरक्षा हेतु तैनात किया जा रहा है और इन्हें यात्री क्षेत्रों में भी तैनात किया जा रहा है।

(iv) रेलवे में अपराधों के निवारण हेतु उपचारी उपायों, अपराध से प्रभावित सेक्शन, रेलों और स्टेशनों में स्थितिकी पुनरीक्षा करने के लिए रेलवे और राज्य पुलिस, के बीच समय-समय पर समन्वय बैठकों आयोजित की जाती है।

(v) जब- कभी किसी सेक्शन हिंसात्मक घटनायें भड़क उठती है तो स्थिति पर नियंत्रण करने हेतु अतिरिक्त मानव शक्ति और अन्य संसाधनों के साथ राज्य पुलिस की सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए उनके साथ राज्य पुलिस की सक्रिय रूप से सहायता करने के लिए उनके साथ समन्वय के पुरे प्रयास किये जाते हैं।

विवरण

2003,2004,और 2005 के दौरान चलती ट्रनों में जकैती,लूटपाट् से घमारी और चोरी सुचित मामले

क्र.सं	राज्य/संघशासित क्षेत्र	डकैती			लूटपाट			सेंधमारी			चौरी		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1	1	1	7	1	2	0	0	0	503	389	
2.	उरुणातव प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	असम	0	0	3	0	3	6	0	0	5	0	53	
4.	बिहार	68	65	8	40	44	12	6	3	0	923	1098	
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	2	0			104	0	
6.	सोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
7.	गजरात	10	5	1	89	109	25	0	0	0	380	515	
S.	हरियाणा	1	0	0	0	1	2	0	0	0	21	35	
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	जम्मु और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	झारखंड	1	17	8	1	16	8	0	0	I	0		
12.	कर्नाटक	7	1	0	5	6	2	0	0	0	499	552	
13.	केरल	0	0	0	3	2	2	0	0	0	122	95	
14.	मध्य प्रदेश	2	0	0	27	21	5	0	0	0	873	1065	
15.	महाराष्ट्र	2	3	3	23	24	11	0	0	0	1374	1409	
16.	मणिप्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0						0	
20.	उड़ीसा	1	1	2	8	5	4	0	0	0	205	273	
21.	पंजाब	0	0 0	1	0	0	0	0	0	0	6	10	
22.	राजस्थान	4				3	2	0	0	0	364	397	
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	तमिलनाडू	2	1	1	1	2	0	0	0	0	133	164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	ठसर प्रदेश	13	14	3	30	25	14	0	0	0	1980	1555	
27.	उत्तरांचल										33	26	
28.	पश्चिम बंगाल	10	9	3	28	21	3	0	0	0	362	184	
	(कुल राज्य)	122	117	35	267	283	100	6	3	6	7885	7965	
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	चंडीगढ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33.	दिल्ली संध शासित क्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1019	0	
34.	लक्षदीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कल (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	9	0	0	t	0	0	0	1019	0	
	क़ल (आखिल भारत)	122	117	35	276	2S3	100	6	3	6	8904	7965	

स्त्रोतः भारत में अपराध, एन.सी.आर.बी.

वर्ष 2005 के आंकड़े अनंतिम है और जून माह तक के हैं।

चोरी के आंकड़े मासिक आधार पर नहीं रखे जाते हैं।

Incidents of rape, loot, dacoities and other criminal activities in trains

†*404. SHRI AJAY MAROO: †
SHRI SANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the incidents of rape, loot, dacoities and other criminal activities in trains in Jharkhand and other States;

(b) whether there is any specific criteria to fix the responsibility in this matter;

(c) if so, the details thereof; and

(d) what measures have been taken for the safety of lives and property of passengers travelling by train?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI SHIVRAJ V. PAUL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Government is aware about the incidents of dacoity, robbery, burglary and theft in running trains. The National Crime Records Bureau (NCRB) compiles data on cases of these crimes registered by the State Governments. A statement indicating number of cases registered during the years 2003, 2004 and 2005 (up to June) is enclosed (See below). NCRB does not maintain the data regarding rape cases in trains.

---

† Original notice of the question was received in Hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ajay Maroo.

"Police" and "Public Order" are state subjects under the seventh Schedule to the Constitution of India and therefore the primary responsibility for detection, registration, investigation and prosecution as well as prevention of crime lies with the State Governments. lncluding crime committed on running trains. With a view to provide better security to the travelling passengers in trains and passenger areas, the Government has taken the following measures:

(i) The Railway Protection Force Act, 1957 and the Railways Act, 1989 have been amended to enable the Railways, through the Railway Protection Force (RPF), to effectively control crime on railways in collaboration with State Police Force.

(ii) RPF has also been empowered to deal with minor offences affecting the train operations such as alarm, chain pulling, roof travel, touting, ticket-less travelling, unauthorized entry.

(iii) RPF personnel are being deployed to escort many trains and they are also being deployed in the passenger area.

(iv) Coordination meetings between railways and state police are held periodically to reivew remedial measures for prevention of crimes on railways, the position in the sections, trains and stations affected by crimes.

(v) Whenever there is a flare-up of violent incidents in any section, all-out efforts are made in coordination with the state police to control the situation, by actively assisting them with additional man power and other resources.

Statement

Case Reported (CR) in running trains under dacoity, robbery, burglary and theft during 2003,2004 and 2005

S.No.	State/UT	Dacoity			Robbery			Burglary			Theft		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Andhra Pradesh	1	1	1	7	1	2	0	0	0	503	389	
2	Arunachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Assam	0	0	3	0	3	6	0	0	5	0	53	
4	Bihar	68	65	8	40	44	12	6	3	0	923	1098	
5	Chhattisgarh	0	0	0	1	0	2	0	0	0	104	0	
6	Goa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
7	Gujarat	10	5	1	89	109	25	0	0	0	380	515	
8	Haryana	1	0	0	0	1	2	0	0	0	21	35	
9	Himachal Pradesh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Jammu & Kashmir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Jharkhand	1	17	8	1	16	8	0	0	1	0	45	
12	Karnataka	7	1	0	5	6	2	0	0	0	499	552	
13	Kerala	0	0	0	3	2	2	0	0	0	122	95	
14	Madhya Pradesh	2	0	0	27	21	5	0	0	0	873	1065	
15	Maharashtra	2	3	3	23	24	11	0	0	0	1374	1409	
16	Manipur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Meghalaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Mizoam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	Nagaland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Orissa	1	1	2	8	5	4	0	0	0	205	273	
21	Punjab	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	10	
22	Rajasthan	4	0	1	- 4	3	2	0	0	0	364	397	
23	Sikkim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Tamil Nadu	2	1	1	1	2	0	0	0	0	133	164	
25	Tripura	0	0	0	0	,0	0	0	0	0	0	0	
26	Uttar Pradesh	13	14	3	30	25	14	0	0	0	1980	1555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Uttaranchal	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0	33	26
28	West Bengal	10	9	3	28	21	3	0	0	0	362	184
	TOTAL (States)	122	117	35	267	283	100	6	3	6	7885	7965
29	A&N Islands	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Chandigarh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	D&N Haveli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Daman & Diu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Delhi UT	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1019	0
34	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Pondicherry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL (UTS):	0	0	0	9	0	0	0	0	0	1019	0
	TOTAL (ALL-INDIA):	122	117	35	276	283	100	6	3	6	9804	7965

Source: Crime in India, NCRB
Figures for year 2005 Care Provisional & Upto the Month of June
Figures for Theft are not Compiled on Monthly Basis

श्री अजय मारू: महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में पिछ्ले दो वर्षों में डकैती, लूटपाट, सेंधमारी तथा चोरी की घटनाओं का विवरण दिया है। साथ ही उन्होंने यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी है। लेकिन मेरे प्रश्न के भाग"क" में मैंने उन से जानना चाहा था कि रेलों में हो रही बलात्कार की घटनाओं पर मंत्री महोदय, के पास क्या जानकारी है? उन्होंने उस के जवाब में लिखा है कि बलात्कार के संबंध में एन.सी.आर.बी. कोई आंकड़े नही रखती है औऱ उन सब घटनाओं की जिम्मेदारी उन्होंने राज्य सरकारों पर छोड़ दी है

महोदय, हाल ही में दिल्ली से कोलकाता जा रही एक ट्रेन में एक महिला जो उत्तर प्रदेश से बैठी थी, उस के साथ बलात्कार की घटना हुई। इस की जानकारी झारखंड के देवधर स्टेशन पर हुई। ऐसी कई घटनाएं हुई है, लेकिन इस पूरे उत्तर में कहीं भी इस का जिक्र नहीं है। मैं मंत्री महोदय, से जानना चाहता हूं कि क्या यह बलात्कार की पहली घटना थी या और भी बलात्कार की घटनाएं रेलगाड़ियों में हुई है?

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन्,रेलवे में जो घटनाएं हो रही है, उस के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, ऐसा मानकार हमने जवाब दिया है। अगर आप किसी खास प्रश्न के बारे में पूछना चाहते हैं तो इस के बारे मैं पूरी तरह से मालूमात लेकर ही आप को जवाब दे सकता हूं। मगर यह समझना जरूरी है कि यह बार-बार प्रश्न उठता है कि किस की जिम्मेदारी है-स्टेट गवर्नमेंट की है रेलवे पुलिस की है या युनियन गवर्नमेंट की है? असल में हमारा जो कानून है उस के मुताबिक रेलवे में भी अगर कोई घटना होती है तो इस की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बतायी गयी थी.मगर अब कानून बदल कर सिर्फ को तो पहले कार्यवाही करने की इजाजत नहीं दी गई थी. मगर अब कानून बदलकर सिर्फ के खिलाफ नहीं, अगर किसी मनुष्य के शरीर के खिलाफ नहीं, अगर किसी मनुष्य के शरीर के खिलाफ कोई क्राइम हुआ है तो उस के खिलाफ कार्यवाही करने की इजाजत दी है। यह जिम्मेदारी अब रेलवे पुलिस की है। इस को खासतौर पर समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम यह नहीं समझेंगे तो सही तरीके से हम उन का जो दायिस्व है, उसकी जड़ तक पहुंच कर किस की जिम्मेदारी है, वह निश्चित नहीं कर पाएंगे।

श्री सभापति: देखिए, आप माननीय सदस्य के समझने की बात कह रहे हैं, आप ने जिन-जिन डिपार्टमेंट्स का नाम लिया है- स्टेट गवर्नमेंट की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की , रेलवे की और सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या-क्या जिम्मेदारी है यह जानकारी तो लोगों को हो?

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन् अगर स्टेट में कोई dacoity की घटना होती है...

श्री सभापति वह एरिया के हिसाब से स्टेट की हो गयी।

श्री शिवराज वी.पाटिल: अगर रेलवे में भी वह घटना हो गई औऱ वह जिस स्टेट में से जा रही है, जैसा कि इन्होंने झारखंड की बात बतायी तो झारखंड सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर रेलवे में कोई घटना हो गई तो उसकी एफ.आई.आर दर्ज करने का काम दिल्ली में नहीं हो सकता है।

श्री सभापति: एफ.आई.आर . एक अलग चीज़ है और घटना को रोकना, घटना का अनुसंधान करना दुसरी चीज है।

श्री शिवसाज वी. पाटिल: महोदय, उसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनाया गया है। इसमें बताया गया है कि कुछ खास रेलवेज़ में जो घटनाएं हो रही है, उसके लिए उन्होंने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बनाया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रेलवे मिनिस्ट्री के तहत काम करती है और रेलवे मिनिस्ट्री उसकी जिम्मेदारी लेती है। मगर, पहले जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट था, उसमें सिर्फ रेलवे की पॉपर्टी की रक्षा करने की जिम्मेदारी थी। आज पैसेन्जर के शरीर और उसकी जान की रक्षा करने का काम भी नए एमेंडेड एक्ट में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दिया गया है।

श्री सभापति: रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, रेलवे पुलिस भी हो गई और स्टेट गवर्नमेंट भी हो गयी, लेकिन जब तक यह क्लेरिफिशेन पूरी नहीं होगी कि अल्टिमेटली रिस्पासिबिलिटी किसकी है, कोई फोर्स एक्टिव नहीं होगा।

श्री शिवराज.वी. पाटिल: सर, आज के कानून के मुताबिक अल्टिमेटली इसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रोदक्शन फोर्स की है। अगर रेलवे में स्टेट पुलिस है, तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की है, किसी दूसरे की नहीं।

श्री अजय मारू: महोदय, यह मेरा प्रश्न मूलतः रेल मंत्रालय को था, लेकिन रेल मंत्रालय ने इसे गृह मंत्रालय को दे दिया । महोदय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह घटना डिटेक्ट हुई झारखंड में, लेकिन यह घटना घटी थी. उत्तर प्रदेश में । जब इस तरह की घटनाएं घटती है तो पुलिस एक दूसरे राज्यों पर अपना पल्ला झाड़ती है। महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय, ने जो जवाब दिया है कि रॉबरी, मल्गेरिटी, थेफ्ट इसमें जो मैक्सिमम मामले हैं, वे चार प्रदेशों में हुई है। उत्तर प्रदेश बिहार...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: जगह गिनाना जरूरी नहीं है।...(**व्यवधान**)...

श्री अजय मारू: ये प्रदेश है- उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड़ और पश्चिम बंगाल। महोदय, यह एक बहुत चिन्ता का विषय है कि रेलवे की यह जो ग्रांट ट्रंक लाईन है, इसी में आधे से ज्यादा घटनाएं घटी हैं, इसमें आंकडे भी बताते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस रेलवे सूट को कोई विशेष पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा या इसी तरह की घटनाएं घटती जाएंगी?

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन्. आप जो कह रहे हैं. वह सही बात है, गलत नहीं है। असल में हमारी जिनती भी रेलवेज़ हैं वे गैमेंटिक बेल्ट से निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को जाती है। रेलवे की संख्यां भी ज्यादा है औऱ वहीं पर रेलवे का आना-जाना भी ज्यादा है। इसीलिए रेलवे मंत्रालय की औऱ से जो कुछ रेलवेज़ हैं, उनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। अगर उससे ज्यादा इंतजाम करने की आवश्यकता है तो यह बात भी हम रेल मंत्रालय की दृष्टि में लाएंगे औऱ रेल मंत्री जी को भी बताएंगे। जो भी करना जरूरी है, वह करा पड़ेगा वे खुद इसे करने की परिस्थिति में है तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ में लेकर ...(**व्यवधान**)... वह देखना पड़ेगा कि वह क्या है।

श्री उपसभापति : ठीक है ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA Sir, if I refer to the reply, it says, 'Police and Public Order' are State subjects. I have no problem on that. But saying that prevention of crime lies with the State Governments, including the crimes committed on running trains, I cannot understand. This is a great anomaly. In a running train, how can the State Police control the crimes? There was a news-item that on 25th October this year, when the North-East Express was passing between Tundala and Kwararai station, the GRP constables themselves have thrashed the hapless passengers; they have injured them. Who is responsible for this? Railways or the local police! Similarly, a student was thrown out from the Konark Express. Who is responsible for this? Rapes are taking place. I would like to know from the hon. Minister—as the Chairman himself has explained—that this position has to be clarified to every citizen in the country, and what measures, both, short-term and long-term, are being taken by the Government for passenger security on trains?

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: Sir, the hon. Member is very correct when he says that if the State Police is not on board, how will they be able to protect the passengers? Now, this is the real problem. But it has to be understood that in some cases, when information is available, or, in some cases in which the offences have been occurring on board, they have asked the Railway Police also to travel on board, and in that case, the State Police has been asked to give the protection. In that case, that is there. But in all cases, the State Police is not travelling and, that is why, it is physically not possible for them to protect That is why, previously, under

the Railway Protection Act, when it was in existence, the Police was given the responsibility to protect the property of the railways, and not the person or the passenger. Now, they have amended the law, and they have given this responsibility to the Railway Protection Police Force members also to protect the property as well as the person or the passenger as the railway property also. Now this is there. But what you are saying is really correct; it is not possible for the State Governments to protect the person or the passenger on board if they are not there, and that is why, it has to be, under the amended law, the responsibility of the Railway Protection Police Force to provide the protection to them.

*405. [The questioner (Shri Rajnath Singh) was absent. For answer *vide* page 41.]

Development of wastelands

*406. SHRI SANTOSH BAGRODIA:
SHRI KB. KRISHNAMURTHY:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the quantum of wastelands in the country as on date;

(b) what is the policy of Government to develop wastelands and quantum of funds allocated for the same during the last three years;

(c) the quantum of wastelands developed during the last three years, State-wise; and

(d) whether there is any policy of Government to distribute wastelands amongst landless peasants?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to the Wastelands Atlas of India, published in 2005 by the Department of Land Resources in collaboration with the National Remote Sensing Agency, the total wasteland in the country is 552.69 lakh ha. State-wise details of wastelands are given in enclosed Statement-I